12.44 म० प०

प्रधान मन्त्री द्वारा वक्तव्य

हरारे में राष्ट्र मण्डल शिखर सम्मेलन, काराकस में जी-15 शिखर सम्मेलन तथा नेपाल के और चीनी लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रधानमंत्रियों की यात्राओं के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अब, जैसी कि हम लोगों में सहमति हुई थी, मैं माननीय प्रधानमन्त्री से आग्रह करूं कि वे अपनी विदेश यात्रा पर अपना वक्तव्य दें ।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मर्यादा का प्रश्न उठाना चाहता हूं। प्रधान मन्त्री महोदय राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में भाग लेने के लिए काफी पहले गए थे, तभी उनको यह वक्तव्य देना चाहिए था । क्या कारण है कि सरकार विदेश नीति के सम्बन्ध में, के सम्बन्ध में संकोच कर रही है । पिछले सत्र में भी विदेश विभाग की मांगों पर चर्चा नहीं करवाई गई । संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो वक्तव्य बहुत पहले आ जाना चाहिए था, वह आज प्रस्तुत किया जा रहा है । (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

प्रधानमन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : 18 सितम्बर, 1991 को लोक सभा में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर होने वाली बहस के बीच में जब मैं बोला था उसके बाद से संसार में हालात बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं । उस अवसर पर बोलते हुए मैंने कांग्रेस पार्टी के घोषणा-पत्र का, प्रतिस्पर्धाकारी गुटों से मुक्त संसार के विषय में जवाहर लाल नेहरू के दृष्टिकोण का जिक्र किया था—एक ऐसे संसार का जिसमें तनाव न हो और जो निरस्त्रीकरण की ओर अग्रसर हो । तथापि, पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव कम हो और अंततः समाप्त हो जाने, उप-क्षेत्रीय और क्षेत्रीय संघर्षों के समाधान के लिए नये सिरे से प्रयास किए जाने के बावजूद अधिकांश देशों के विकास की बुनियादी और आधारभूत समस्याओं के समाधान हमें प्राप्त नहीं हो सके हैं ।

आज संसार उथल-पुथल और आकस्मिक परिवर्तन की स्थिति से गुजर रहा है । विकास की आश्चर्य-जनक गति, तथा समाज संचालन की नीतियों का नवीकरण और पारस्परिक कार्य-कलाप अपने आप में समस्याएं भी हैं और चुनौतियां भी । मेरी सरकार परिवर्तन की ओर उन्मुख अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण के अनुरूप अपने आपको ढालने तथा अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने में अपनी विदेश नीति को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तत्पर है ।

विगत तीन महीने घटना प्रधान रहे हैं । भारत: हमारी विदेश नीति की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं—(i) भारत की एकता के लिए पैदा किसी खतरे को रोकना (ii) प्रादेशिक अखंडता को कायम रखना (iii) अपने क्षेत्र में स्थायित्व और शांति का एक स्थायी वातावरण तैयार करके भू-राजनीतिक सुरक्षा का सुनिश्चय करना और (iv) समूचे विश्व में राजनैतिक और आर्थिक नीतियां तैयार करने में विकास के महत्व को विश्व भर में बहाल करने की कोशिश । हमने दूसरे देशों के साथ अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों

को सावधानीपूर्वक पल्लवित और सुदृढ़ करके और बहुपक्षीय मंचों में जिनके कार्यों और जिनकी सफलताओं में हमारा प्रमुख योगदान रहा है, सजगता और प्रभावी ढंग से भाग लेकर इन प्राथमिकताओं की ओर ध्यान दिया है। हमने अक्तूबर में हरारे में सम्पन्न राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक और नवम्बर में कारावास में जी-15 के दूसरे शिखर सम्मेलन में भाग लिया। दिसम्बर में नेपाल और चीन के प्रधान मन्त्री भी भारत आए। मेरे विचार से इन घटना प्रधान कार्य-कलापों के सम्बन्ध में मुझे इस सदन के समक्ष विस्तार से एक बयान देना चाहिए।

हरारे में आयोजित राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक का प्रमुख उद्देश्य यह था कि 1990 के दशाब्द में और उसके बाद राष्ट्रमण्डल की भूमिका क्या होगी। इसका मकसद राष्ट्रमण्डल की शक्ति का पता लगाना और संसार की बदलती परिस्थितियों में इसकी सार्थकता पर विचार करना और भावी प्राथमिकतायें निश्चित करना था। भावी दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं के प्रश्न पर विकसित और विकासशील देशों में फर्क होना स्वाभाविक है। कुछ विकसित देश इस बारे में इस बात के लिए उत्सुक हैं कि बहुपक्षीय कार्य-सूची में राजनीतिक बहुवाद, मानवाधिकार, लोकतांत्रिक व्यवहार जैसे विषयों पर ही बल दिया जाए। इस तरह के विषय "अच्छे प्रशासन" की छत्र-अवधारणा के अन्तर्गत समाहित किए जाते हैं। राजनीतिक बहुवाद और लोकतांत्रिक कार्य संचालन के क्षेत्र में भारत का कार्य ऐसा अच्छा रहा है कि उस पर हम गर्व कर सकते हैं। हमारा समाज इन्हीं बुनियादी मानवाधिकारों और मूल्यों को मानता है और इसीलिए इसी पर उसकी इमारत खड़ी है। इन विषयों पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान केन्द्रित हो, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन ऐसा हम विकास और आर्थिक सहयोग जैसे बुनियादी विषयों की कीमत पर नहीं कर सकते। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि विगत दशाब्दों में विश्व के एक भाग में वहां अलग-अलग देशों की सांस्कृतिक विशेषताओं, उनके मानदण्डों और स्तर में जो विकास हुआ है, उसे यों का यों ही दूसरे भाग के संदर्भ में लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यह है भी देखना होगा कि इस तरह के मूल्यों को अपनाने की इच्छा की वजह से विकास सहायता पर गैर आर्थिक शर्तें न लादी जायें। हरारे घोषणा में भारत का यह विचार निहित है जो अन्ततः राष्ट्रमण्डल में आम सहमति के रूप में उभरा।

इसी तरह कारावास में आयोजित जी-15 के शिखर सम्मेलन में भी हमारा उद्देश्य इस बात का सुनिश्चिय करना था कि बहुपक्षीय कार्य सूची में विकास सहयोग पर बल को बनाए रखने की आवश्यकता पर सहमति हो, कम से कम जी-15 के देशों में तो अवश्य ही। विकास के बारे में एक नई अन्तर्राष्ट्रीय सहमति के विषय पर मुझे प्रमुख वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों द्वारा पारित संयुक्त विज्ञप्ति से यह आवश्यकता पूर्णतः प्रतिलक्षित होती है। जी-15 की दूसरी शिखर बैठक इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी की इसमें दक्षिण-दक्षिण सहयोग की बहुत सी परियोजनाएं स्वीकार की गई और उनके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश तय किए गए। इसमें "जीन बैंकों" की स्थापना और गोर ऊर्जा के प्रयोग से सम्बद्ध दो भारतीय परियोजनाएं भी शामिल हैं। इन परियोजनाओं से दक्षिण-दक्षिण सहयोग को आर्थिक और प्रौद्योगिक आधार प्राप्त होगा जिसे व्यापार प्रतिनिधियों की वार्षिक सभा से और आगे बढ़ाया जाएगा। कारावास में व्यापारियों की समानता बैठक से जी-15 के देशों के करीब 240 वरिष्ठ प्रतिनिधियों को परस्पर मिलने का मौका मिला।

अतः जी-15 की शिखर बैठक के परिणामों से हमारा सन्तुष्ट होना अकारण नहीं है। 1993 में यह शिखर बैठक नई दिल्ली में आयोजित करने का निमंत्रण भी दिया गया है। हमने इसे स्वीकार कर लिया।

इस महीने के शुरू में नेपाल के प्रधानमन्त्री श्री कोइराला की भारत यात्रा से भारत और नेपाल के बीच सहयोग के गुणात्मक रूप से एक नए युग का शुभारम्भ हुआ। उनके साथ जो बातचीत हुई और जो सहमति हुई उसमें हमारी आपस की बहुत-सी चिन्ताएं शामिल थीं और उनमें कई मसलों पर गलत-फहमी दूर हुई। उनके साथ सभी बैठकें अत्यन्त हार्दिकता, सौहार्द और सद्भाव के वातावरण में हुईं। इन बैठकों के फलस्वरूप ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनका उद्देश्य नेपाल और भारत के बीच परस्पर लाभदायक सहयोग को और अधिक विस्तार देना है।

एक भारत-नेपाल व्यापार संधि पर, एक भारत-नेपाल पारगमन संधि पर तथा अनधिकृत व्यापार पर नियंत्रण से सम्बद्ध एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। व्यापार विषयक संधि में कई नई सुविधायें और रियायतें शामिल हैं जिनसे, अगर नेपाल के व्यापार और उद्योग ने उनका पूरा-पूरा लाभ उठाया तो, भारत के लिए नेपाल के निर्यात में बहुत वृद्धि होनी चाहिए। पारगमन संधि में नेपाल के मार्गस्थ माल के लिए सीमा-शुल्क और दूसरी प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाया गया है। दोनों पक्षों ने इस बात का वचन दिया है कि तस्करी के बढ़ते हुए खतरे से निपटने में पूरी तरह एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगे जो भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर गम्भीर दुष्प्रभाव डाल रहा है।

जल संसाधन का विकास एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नेपाल की अर्थ-व्यवस्था में क्रांति लाने की क्षमता है और जिससे भारत को भी लाभ पहुंच सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि करनाली, पंचेश्वर तथा कोसी पनबिजली परियोजनाओं के बारे में तथा बूढ़ी गण्डक, बाढ़ की पूर्व सूचना और बाढ़ से रक्षा, विद्युत शक्ति का आदान-प्रदान करने से सम्बद्ध मझोली परियोजनाओं के बारे में हमने जो बहुत-से निर्णय लिए हैं, उनसे इस क्षेत्र में शीघ्र और बहुत प्रगति होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये परियोजनाएं नेपाल और भारत, दोनों ही के लोगों के लिए समान रूप से लाभकारी होंगी।

अनुमोदित भारत-नेपाल संयुक्त उद्यमों के माल के लिए भारतीय मण्डी में विशेष रूप से अनुकूल प्रवेश की व्यवस्था की गई है। इससे औद्योगिक सहयोग और नेपाल के औद्योगीकरण को बढ़ाने में सहायता मिलनी चाहिए। इसके साथ ही, भारत-नेपाल के मौजूदा संयुक्त उद्यमों की निष्क्रियता अथवा उनकी असफलता के कारणों का अध्ययन किया जाएगा और उनमें सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जायेंगे।

नेपाल की सरकार के अनुरोध के अनुसार हम अपने वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के भीतर, स्वास्थ्य, सड़क, रेलवे और दूर-संचार के क्षेत्रों में अनेक नई भारतीय सहायता परियोजनायें हाथ में लेंगे। यह हमारी लम्बे अर्से से, चली आ रही परम्परा की निरन्तरता का ही प्रतीक है जिसके अन्तर्गत हम अपनी सामर्थ्य के अनुरूप नेपाल के आर्थिक विकास में उसकी भरसक मदद करते आए हैं।

नेपाल के अनुरोध पर ही कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, वाणिज्यिक फसलों का संसाधन, कृषि आधारित उद्योग आदि में सहयोग पर भी समझौता हुआ है। इन कार्यक्रमों से नेपाल के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के खास-खास उपाय भी तय किए गए।

नेपाल के महान देश भक्त, स्वतन्त्रता सेनानी और राजनेता, स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की स्मृति में, जो भारत की आजादी की लड़ाई में भी अत्यन्त निकट से जुड़े रहे थे, दोनों देशों ने बी० पी० कोइराला भारत-नेपाल फाउन्डेशन की संयुक्त स्थापना करने का निर्णय लिया है। यह फाउन्डेशन न सिर्फ शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए काम करेगा, बल्कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,

कृषि तथा विकासोन्मुखी अन्य क्षेत्रों में सहयोग संवर्धित करने के लिए भी कार्य करेगा। नेपाल और भारत की सरकारें इस फाउन्डेशन के न्यासी-कोष में बराबर-बराबर दो करोड़ रुपये तक की राशि अपनी-अपनी ओर से देंगी।

इस तरह, दोनों देशों के बीच सहयोग का एक मजबूत ढांचा खड़ा कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि हमारे पारस्परिक सम्बन्धों में एक सच्ची क्रांति आए। नेपाल के साथ अपने सम्बन्धों के क्षेत्र में आज हम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं जिसमें अनन्त नई-नई सम्भावनायें हैं। अब यह हमारी दोनों सरकारों का काम है वे यह सुनिश्चित करें कि वे अपने देशवासियों को इस प्रकार के सहयोग से प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित न होने दें क्योंकि इस पर उनका अधिकार है। जहां तक हमारा सवाल है, हमारी ओर से न प्रयत्नों में ढील आएगी और न हम अपनी प्रतिबद्धताओं से अलग हटेंगे। मुझे विश्वास है कि नेपाल की ओर से भी ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, ऐसे ही प्रयास होंगे। यहां मैं पुनः यह बताना चाहूंगा कि विकास के क्षेत्रों में ध्यान केन्द्रित करने के लिए सजग प्रयास किए गए हैं।

जैसा कि सदन को मालूम है, चीन लोक गणराज्य की राज्य परिषद के प्रधानमन्त्री श्री ली फंग भारत आए थे और 11 से 16 दिसम्बर तक यहां ठहरे थे। चीन के किसी प्रधानमन्त्री की 31 वर्ष के दीर्घ अन्तराल के बाद होने वाली इस यात्रा से सदन में और पूरे देश में भी भारत-चीन सम्बन्धों पर और क्षेत्रीय घटनाचक्र पर इसके प्रभाव के संदर्भ में काफी जाग्रत होना बड़ा स्वभाविक है। एशिया के चीन और भारत जैसे दो महत्वपूर्ण एशियाई देशों के पारस्परिक कार्य-कलाप का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए भी बड़ा महत्व है। इस यात्रा के दौरान जो विचार-विमर्श हुआ उसके सम्बन्ध में मैं इस सदन को विश्वास में लेना चाहूंगा।

प्रधानमन्त्री ली फंग के साथ उनके विदेश मन्त्री क्वान क्वीचेन तथा वैदेशिक व्यापार एवं आर्थिक सम्बन्ध मन्त्री ली लाकिंग तथा चीन सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी आए थे।

श्री ली फंग द्वारा हमारे देश की यह यात्रा तथा पारस्परिक हित चिन्ता के मामलों पर उनके साथ सम्पन्न विस्तृत विचार-विनिमय इसलिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया कि उनकी यह यात्रा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में तीव्रगति से होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में हुई थी जिसमें पूर्वी यूरोप के राज्यों और समाजों का आधारभूत रूप परिवर्तन पश्चिमी यूरोप में होने वाले एकीकरण की प्रगति और अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक और आर्थिक सम्बन्धों में बदलते समीकरण सभी कुछ शामिल हैं। हमने द्विपक्षीय क्षेत्रीय और सार्वभौम मसलों पर भी व्यापक बातचीत की।

श्री ली फंग ने इस यात्रा से प्राप्त अवसर का लाभ उठाकर राष्ट्रपति श्री वेंकटरामन और उप-राष्ट्रपति श्री शंकरदयाल शर्मा के साथ भी मुलाकात की। चीन के विदेश मन्त्री ने हमारे विदेश मन्त्री श्री माधवसिंह सोलंकी के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच भी अलग से बैठकें हुईं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि नेपाल के प्रधानमन्त्री की भांति चीन के प्रधान मन्त्री भी हमारे राजनैतिक नेताओं और कई संसद सदस्यों से मिले।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार-विमर्श में प्रधानमन्त्री ली फंग और मैं इस बात पर सहमत हुए कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धान्त, जिनकी शुरूआत भारत और चीन ने मिलकर 1954 में की थी, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के संचालन के अनिवार्य मानदण्ड हैं और सभी देशों को, चाहे उनका आकार कुछ भी हो, कैसी भी उनकी शक्ति हो और वे विकास के किसी भी पायदान पर क्यों न हों, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समान सदस्य हैं। हम दोनों का यह भी समान विचार था कि विवादों को

निपटाने के लिए शक्ति का प्रयोग या उसका प्रदर्शन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में हरगिज नहीं किया जाना चाहिए। विकसित और विकासशील विश्व के बीच आर्थिक सन्तुलन ने और अधिक गम्भीर रूप धारण कर लिया है। विकासशील देशों को उत्तर के साथ अपनी बातचीत में न केवल एक समान रवैया अपनाने की जरूरत है बल्कि उन्हें सामूहिक रूप से और अधिक आत्मनिर्भर बनने की जरूरत भी है। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

दोनों देशों के बीच सीमा के शेष प्रश्न के बारे में चीन के प्रधानमन्त्री और मैं दोनों इस बात पर सहमत हुए कि इस प्रश्न का शीघ्र, निष्पक्ष, उचित और परस्पर स्वीकार्य समाधान ढूंढने के प्रयास तेज किए जाने चाहिए। हमने इस बात पर अपना सन्तोष व्यक्त किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थायित्व बनाए रखा गया है। हमने इस बात पर जोर दिया कि सीमा के प्रश्न पर हमारे मतभेद कम किए जाने चाहिए और हमें एक-दूसरे के सा। अपने सम्पर्क बनाए रखने चाहिए ताकि संयुक्त कार्यदल को निर्देश दिए जा सकें जिसकी स्थापना 1988 में इस प्रश्न का समाधान ढूंढने के लिए की गई थी। मैंने यह विचार व्यक्त किया कि इस प्रश्न का समाधान दोनों देशों के लिए एक उपलब्धि होगा और इससे शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के पांच सिद्धान्तों की पुष्टि होगी। संयुक्त कार्यदल की अगली बैठक 1992 में यथाशीघ्र बुलाई जाएगी और स्थानीय मसलों को सुलझाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिक कार्मिकों के बीच नियमित बैठकें होंगी।

इस यात्रा के दौरान अनेक द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें शामिल है शंघाई और बम्बई में प्रमुख कौंसलावासों को पुनः खोलने से सम्बद्ध करार और सीमावर्ती व्यापार को पुनः शुरू करने और बाहरी अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग सम्बन्धी ज्ञापन। हम कृषि, जन-स्वास्थ्य, ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाने पर भी सहमत हुए। चीन में भारत महोत्सव आयोजित करने पर भी सहमति हुई। भारत में चीन महोत्सव भी आयोजित किया जाएगा।

तिब्बत के मसले पर हमारी दीर्घकालिक और ठोस स्थिति को पुनः स्पष्ट तौर पर दोहराया गया। तिब्बत चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है और हम तिब्बतियों को भारत में चीन विरोधी राजनैतिक गतिविधियां चलाने की इजाजत नहीं देते। इससे तिब्बत के साथ हमारे सदियों से चले आ रहे धार्मिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह बात मैंने अपनी बातचीत में भी बताई थी। धार्मिक और आध्यात्मिक नेता के रूप में परम-पावन दलाई लामा के प्रति हमारा सम्मान यथावत है। इस प्रकार की स्थितियों के प्रति दृष्टिकोण राजनैतिक बातचीत के माध्यम से सर्वसम्मति बनाकर ही बनाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में चीन के प्रधानमन्त्री की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण थी। चीन के प्रधान मन्त्री ने बताया कि तिब्बत की स्वतन्त्रता को छोड़कर शेष सभी मसलों पर परम-पावन दलाई लामा से बातचीत की जा सकती है।

हमने पाकिस्तान को अत्युन्नत हथियारों और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों की सप्लाई तथा पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य में आतंकवाद और विध्वंसकारी कार्यवाहियों में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में चीनी पक्ष को अपनी चिन्ताओं से अवगत कराया। चीन की सरकार आतंकवाद के खिलाफ है क्योंकि इससे क्षेत्रवाद सुलझता नहीं बल्कि मौजूदा स्थिति और बिगड़ती है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं देखना चाहते और वे चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए। म्यानमार को चीन द्वारा शस्त्र सप्लाई किए जाने के बारे में भी अपनी चिन्ताओं से उन्हें अवगत कराया हमने इस बात का उल्लेख किया कि विश्व जनमत का बाहुल्य म्यानमार में ऐसा लोकतांत्रिक शासन बहाल करने के पक्ष में है जो इसके लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप हो।

1.00 म० प०

हमारी बातचीत में मानवाधिकारों का मसला भी उठा। मैंने सभी मानवाधिकारों की अविभाज्यता की संकल्पना के प्रति अपने अनुपालन पर भी जोर दिया। साथ ही मैंने हरारे और काराकस में प्रस्तुत अपना यह विचार भी व्यक्त किया कि किसी भी विकासशील देश को मानवाधिकारों के नाम पर सहायता देने से इन्कार नहीं किया जाना चाहिए। विकास के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चीन के प्रधान मन्त्री का विचार था कि मानवाधिकारों का इस्तेमाल देशों के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ौसी है और हम इससे अनिवार्यतः भौगोलिक रूप से और ऐतिहासिक परस्पर क्रिया-कलापों की परम्परा से जुड़े हुए हैं। हम चीन के साथ अपने सम्बन्धों में आशावान भविष्य की उम्मीद करते हैं। हमारी बातचीत से आपसी सूझबूझ सुदृढ़ होनी चाहिए और इससे अनसुलझे सभी मसलों का शान्तिपूर्ण समाधान निकलना चाहिए। मुझे विश्वास है कि चीन के प्रधानमन्त्री की यह यात्रा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव जियांग जेमिन को भारत आने का निमंत्रण दिया है। हमारे राष्ट्रपति को चीन यात्रा का निमंत्रण दिया गया है और प्रधान मन्त्री ली पेंग ने मुझे अपने देश की यात्रा पर आने का निमंत्रण भी दिया है। आज अस्थिर और बदल रही अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में मुझे विश्वास है कि हमारे दोनों देश जिनकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की एक तिहाई है, विश्व में शान्ति और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जो कि उन्हें निभानी ही चाहिए।

इस यात्रा का उद्देश्य एक ओर सीमा पर विचार करना और दूसरी ओर आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग के बारे में विचार करना था। आपसी हित के इन अन्य क्षेत्रों में दो श्रेणियां हैं : एक द्विपक्षीय और दूसरी मानव जाति के आम हित में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र। दो प्राचीन सभ्यताओं के रूप में भारत और चीन काफी कुछ कर सकते हैं। विश्व के प्रति यह उनका कर्तव्य भी है। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। यह अन्तर्राष्ट्रीय पहलू हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और हमेशा-हमेशा रहेगा भी। किन्तु इस समय जब विश्व में अप्रत्याशित परिवर्तन हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि मानव जाति के प्रति यह विशेष कर्तव्य भी तात्कालिक स्वरूप का है। इसमें कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि अधिकांश मानव जाति का भविष्य, जो विकासशील देशों में रह रहे हैं और गरीबी और जरूरत की स्थिति में जी रहे हैं, इस समय इतने अधिक दांव पर लगा रहे हैं जितना पहले कभी नहीं था। भारत और चीन मानव जाति के इस बड़े हिस्से के प्रति यह अपना कर्तव्य समझते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख उन कारणों और तार्किकता को प्रस्तुत करना चाहूंगा जिनकी वजह से हमारी विदेश नीति उन्नत हुई है, जैसाकि उन महत्वपूर्ण घटनाओं में प्रतिलक्षित है जिनके बारे में मैंने अभी बताया है। यह मुख्यतः हमारी धर्मनिरपेक्ष बहुवादी शासन प्रणाली की सैद्धान्तिक अखण्डता को बनाए रखने के लिए है। यह उथल-पुथल वाले विश्व में अपनी राष्ट्रीय एकता और प्रादेशिक अखण्डता की सुरक्षा के लिए और जातीय, धार्मिक, आर्थिक और पृथकतावादी सामाजिक-सांस्कृतिक प्रवृत्तियों से उभरने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए है। यह समूचे विश्व में, विशेषकर विकासशील देशों में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर हमारे लोगों के बुनियादी हित कल्याण का सुनिश्चय करने के लिए है। जैसा कि मैंने पाया है हमारी विदेश नीति का निहित उद्देश्य संकीर्ण राष्ट्रवादी भावना में एक आयाम वाला नहीं है। इसका निहित उद्देश्य एक ऐसी क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाना है जो मेल-मिलाप, आम सहमति और शान्ति के लिए, संघर्ष करने की सर्व-

सम्मत इच्छा और बुनियादी मसलों तथा मानवजाति की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित करने पर आधारित हो। यह तथ्य इन चारों घटनाओं के प्रति समान है, इनमें से प्रत्येक के व्यावहारिक उपायों से जो परिणाम निकलेंगे उनसे लोगों के जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है और उनका जीवन स्तर बेहतर हो सकता है।

यह मेरी दृढ़ धारणा है कि हरारे और काराकस में दो बहु-उद्देशीय आयोजनों में हमारी भागीदारी और नेपाल और चीन के प्रधानमंत्रियों की भारत यात्रा से हमारे अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्यों तथा दायित्वों की पूर्ति और हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए भी सार्थक और संरचनात्मक दृष्टिकोण है। विदेश मंत्री माननीय सदस्यों को समय-समय पर विदेश नीति मोर्चे पर चली घटनाओं से अवगत कराते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि हम प्रमुख विदेश नीति मसलों पर राष्ट्रीय सहमति बनाते रहेंगे। उनमें माननीय सदस्यों का योगदान हमेशा मिलता रहेगा। (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मान्यवर, मैं प्रधानमंत्री जी से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग रहा हूं। (**व्यवधान**)

श्री एम० आर० काडम्बुर जनार्दनम (तिरुनलवेली) : मान्यवर, मैं सदन से निवेदन करता हूं कि वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, जिन्हें मद्रास विश्वविद्यालय से डी० लिट० की उपाधि मिली है, को बधाई देने में तमिलनाडु के नागरिकों का साथ दें। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम लोग इस पर बाद में चर्चा करेंगे।

(**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं प्रधान मंत्री जी से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग रहा हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हम सदस्यों को असूचीबद्ध मामलों पर विचार प्रकट करने का अवसर कुछ देर बाद में देंगे। किन्तु कार्य मंत्रणा समिति में किसी वरिष्ठ सदस्य ने इस तरह का विचार प्रकट किया था कि ज्यादा नहीं केवल एक या दो प्रश्न जो महत्वपूर्ण हों, पूछे जाने चाहिएं ताकि और अधिक सूचना एकत्रित की जा सके। अब जबकि सदन की परिपाटी नहीं है फिर भी मैं अपवादस्वरूप इसकी आज्ञा दे रहा हूं जोकि उदाहरण नहीं बनना चाहिए। क्या मैं सदस्यों से निवेदन करूं कि वे लम्बे और बहुत अधिक प्रश्न न पूछें। और न ही प्रश्नों को दुहरायें और जहां तक संभव हो शांतिपूर्ण एवं सारगर्भित तरीके से मुद्दे को उठायें। अब मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त को प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं।

(**व्यवधान**)

श्री एम० आर० काडम्बुर जनार्दनम : श्रीमन, मेरे आग्रह का हुआ (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम लोग इस पर बाद में चर्चा करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा दिये गये विस्तृत वक्तव्य की प्रशंसा करते हुए जैसाकि आपके दिशानिर्देश के अनुसार मैं दो संक्षिप्त प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं चाहूंगा कि सर्वप्रथम यह संयुक्त कार्यकारी दल जोकि जिसे सीमा विवाद सम्बन्धी मामले की जांच करनी है एवं जिसका गठन दोनों पक्षों के अधिकारियों के द्वारा हुआ है और जैसाकि मैं समझता हूं इसका दर्जा बढ़ाया गया है, कि भविष्य के लिये इस संयुक्त कार्यकारी दल के अधिकारी कोई सार्थक

परिणाम प्रस्तुत कर सकते हैं, जब तक कि दोनों प्रधान मंत्री या दोनों सरकारें उन्हें कोई दिशानिदेश या सिद्धान्तों का अनुपालन करने के लिए न कहें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दोनों पक्षों के बीच इस तरह के दिशानिदेश अथवा सिद्धांतों पर विचार-विमर्श किया गया है, सहमति बनाई गई है। और वास्तव में कुछ मार्गदर्शन के तौर पर उन अधिकारियों को, जो संयुक्त कार्यकारिणी कार्यकारी दल में हैं मार्गनिदेश के लिए इस सम्बन्ध में बता दिया गया है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि उद्धरण का क्या औचित्य है --दौरे के अन्त में जारी की गई सरकारी विज्ञप्ति में यह सब बातें नहीं हैं किन्तु दौरे के दौरान समाचारपत्रों में यह बड़े शोर-सोर से प्रकाशित किया गया और जहां तक मेरी जानकारी है इसमें इसका खण्डन भी नहीं किया गया। दोनों प्रधान-मंत्रियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय अल्पमत सरकारों के खतरों के सन्दर्भ में इन उद्धरणों का क्या मतलब होता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस वाक्यांश का क्या मतलब है? क्या इसका तात्पर्य एक पक्षीय विश्व के खतरों से है जिसे कदाचित कुछ शक्तियां स्थापित करना चाहती हों? क्या यह इसी सन्दर्भ में है कि इस वाक्यांश "इन्टरनेशनल आसीगार्की" का प्रयोग करके चेतावनी दी गई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी, यदि आप चाहें, मेरे विचार से, मैं कुछ अन्य सदस्यों को भी प्रश्न पूछने का अवसर दूं और आप अन्त में उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, मैं आपका ध्यान एक बात पर ले जाना चाहता हूं। हमें ऐसी आशा नहीं थी, मैंने सोचा था कि यह केवल वक्तव्य तक ही सीमित रहेगा। अत: मैंने इसी तरह का वक्तव्य दूसरे सदन में भी देना है और समय भी निर्धारित कर दिया गया, अब यदि नियम बदले जाने हैं, तो पद्धति को भी बदलना पड़ेगा, हमें इसके बारे में कुछ पहले ही बताया जाना था। स्पष्टत: मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आज ही दोनों सदनों के बीच यह सब कैसे सम्भव होगा?

अध्यक्ष महोदय : इस पर संसदीय कार्य मंत्री के साथ चर्चा होनी चाहिए थी। ठीक है। मैं संक्षेप में एक या दो प्रश्नों की अनुमति देता हूं। प्रधानमन्त्री जी आप किस समय वहां होंगे?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं पहले ही विलम्ब कर रहा हूं। मुझे 20 मिनट पहले ही वहां होना चाहिए था। मैंने सूचना भेज दी है कि इसे स्थगित कर दिया जाए। किन्तु वास्तव में मुझे जानकारी नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। (व्यवधान)...मैं पलायन नहीं कर रहा हूं और न ही प्रश्न से आंखें चुरा रहा हूं। यदि हम एक सदन में जवाब दे सकते हैं तो दूसरे में भी दे सकते हैं, लेकिन यही बात मेरी समझ में नहीं आई, सिर्फ यही बात है। (व्यवधान)

श्री हरिकिशोर सिंह (शिवहर) : खैर, हम इसे किसी और समय रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : हमने प्रस्ताव रखा था कि इसे दो बजे से रखा जाए ताकि मैम्बर्स इतमिनान से पूछ सकें। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया था कि इसको लंच से पहले किया जाये। राज्य सभा में तो आलरैडी लंच हो गया होगा। (व्यवधान)

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ (पौन्नानी) : यहां पर लंच आवर होगा।

श्री राम विलास पासवान : आप इसे लंच आवर के बाद रखिये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मेरे विचार में हमें माननीय प्रधानमन्त्री महोदय को इस प्रश्न का उत्तर देने के पश्चात् दूसरे सदन में जाने की अनुमति देनी चाहिए क्योंकि दूसरे सदन में भी उनकी उपस्थिति आवश्यक है। अगर आवश्यक हुई तो संसदीय कार्य मंत्री से परामर्श के पश्चात हम यह निश्चित कर सकते हैं कि इसे कैसे किया जाये।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, यह ठीक है कि कोई भी समिति जिसमें केवल अधिकारी ही सम्मिलित हो तो वह सीमा सम्बन्धी विवाद तथा दूसरे किसी विवाद को निपटाने में एक सीमा तक ही पहुंच सकती हैं। 1981 में हमने सरकारी समिति आरम्भ की। हमने बातचीत के सात दौर किए तथा सातवें दौर तक प्रत्येक दौर के साथ प्रगति हुई तथा मुझे दोनों सदनों में एक प्रगति के सम्बन्ध में वक्तव्य देने का अवसर मिला। सातवें दौर पर आ कर उनकी गति समाप्त हो गई। उन्हें राजनैतिक संकेत की आवश्यकता थी, जिसके बिना वे आगे नहीं बढ़ सकते थे। इसलिए बातचीत के उन दौरों से अनुकूल परिणाम नहीं निकले। इस बार हम सावधान थे। संयुक्त कार्य दल के मन में कुछ विचार थे। इसके अतिरिक्त इस बार संयुक्त कार्य दल का गठन हुआ था जो कि पहले नहीं हुआ था। पहले केवल प्रतिनिधियों की आपस में बातचीत होती थी। इस बार संयुक्त कार्य दल का गठन हुआ था तथा इसलिए जिस मुद्दे पर सहमति हो जाती थी, उसे नोट कर लिया जाता था। जिस मुद्दे पर सहमति नहीं होती थी, उसे नोट नहीं किया जाता था तथा इस प्रकार जहां तक दल का सम्बन्ध है तो इसकी सारी सिफारिशें, चाहे वे किसी भी मुद्दे पर रही हों, वे संयुक्त रूप से दी गई सिफारिशें थीं।

वर्तमान यात्रा के दौरान यह आशा थी कि किसी समय, शायद दूसरे या तीसरे दौर के पश्चात् हमें फिर से राजनैतिक संकेत देने पड़ेंगे। इस आवश्यकता को समझ लिया गया था। परन्तु मेरा विश्वास है कि संयुक्त कार्य दल की अगली बैठक में किसी नए संकेत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम इस बात पर सहमत थे कि इस सम्बन्ध में सम्पर्क बनाये रखा जाये कि संयुक्त कार्य दल 1992 में दूसरी बैठक के पश्चात किस प्रकार प्रगति कर रहा है तथा किसी आसान तरीके द्वारा ये पता लगा सकें कि किसी राजनैतिक संकेत की आवश्यकता है, या नहीं। अगर इसकी आवश्यकता नहीं तथा कोई परिणाम सम्भावित हो तो वे बातचीत का एक और दौर कर सकते हैं तथा हम तीसरे दौर तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। अन्यथा, हम में इस बात पर सहमति है कि प्रत्येक दौर के साथ सम्पर्क बनाये रखा जायेगा। यह पहले प्रश्न का उत्तर है।

'अन्तर्राष्ट्रीय कुलीन तंत्र' के सन्दर्भ में यह शब्दावली संभावित घटनाओं के लिए प्रयोग की जाती है—मैं यह नहीं जानता कि यह घटित हो चुका है अथवा घटित हो रहा है, परन्तु ऐसा होने की संभावना है—अगर कुछ लोगों का समूह अथवा कुछ देशों का समूह ऐसा दृष्टिकोण अपनाता है कि उनकी इच्छा, चाहे वह ठीक हो या गलत, उसे अलोकतांत्रिक तरीके से बाकी देशों पर थोपा जा सकता है, तो हमें बड़े ही सावधान रहने की आवश्यकता है तथा में इस सन्दर्भ में मैं किसी देशों के समूह का नाम नहीं ले रहा तथा एक ध्रुवी विश्व में भी ऐसा हो सकता है तथा कुछ हालातों में ऐसा हो सकता है। और हमें आरम्भ से ही सावधान रहना है। शब्द 'चलो, से हमें ऐसी घटना की संभावना से सावधान रहना है। एक और सावधानी हमें यह बरतनी होगी कि हमें टकराव की स्थिति से बचना होगा। कई वर्षों से तथा कई दशकों से दोनों तरफ टकराव का दृष्टिकोण बना हुआ है। जो घटित हुआ, वह हम जब जानते हैं। परन्तु बातचीत द्वारा अर्थपूर्ण समाधान निकालना मुश्किल है तथा टकराव का दृष्टिकोण अपनाना आसान है। इसलिए कूटनीति का कार्य बहुत ही कठिन हो गया है। पहले, हमने

एक प्रस्ताव पारित किया, इसके पक्ष में मत दिया तथा वापिस आ गये। फिर हमने सोचा कि हमारा कर्त्तव्य समाप्त हो गया। अब ऐसा नहीं है। हमें बातचीत का रास्ता अपनाते हुए तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहमति बनाते हुए इसे सर्वस्वीकार्य बनाना है तथा क्रियान्वित करना है। यह एक बहुत ही मुश्किल कार्य है तथा इसलिए आरम्भ से ही हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों तथा देशों का एक बड़ा समूह स्वत: ही असहाय होकर दबाव के अन्दर थोड़े से देशों के कार्यक्रम अथवा दृष्टिकोण या नीति को न अपना लें।

मैं यह नहीं कहता कि यह बिल्कुल गलत है। यह ठीक भी हो सकती है। हम इसका अनुसरण कर सकते हैं परन्तु इसे हम पर थोपा नहीं जा सकता। यह एक राष्ट्रीय निर्णय होना चाहिए। भारत में अपनाई जाने वाली नीति का निर्धारण यह संसद करेगी तथा यह विवेकपूर्ण निर्णय होना चाहिए। इस शब्द 'अन्तर्राष्ट्रीय कुलीन तंत्र' का प्रयोग इसी सन्दर्भ में किया जाता है। इसे वर्णनात्मक होना था। परन्तु, वास्तव में जो विश्व में हो रहा है, उस घटनाक्रम का एक बड़ा भाग इसी दृष्टिकोण से प्रभावित है, जिसके प्रति हमें सावधान रहना होगा। इसी सन्दर्भ में इस शब्द का प्रयोग होता है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर दूंगा तत्पश्चात् भोजनावकाश के लिए सभा का स्थगन होगा।

(व्यवधान)

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ : महोदय, 1.15 म० प० बज चुके है। सभा का भोजनावकाश के लिए स्थगन किया जाना चाहिए आज शुक्रवार है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ समय पश्चात् हम सभा स्थगित करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले एक माह के अन्दर भिण्ड में···**(व्यवधान)**···भिण्ड जिले के एक गांव में 82 हत्यायें हो चुकी हैं और वहां पर बैठी हुई अदालत के गुण्डों ने आकर वहां के जज को मारा, एक डाक्टर को वहां अस्पताल में आकर मारा। ज्यूडिशियरी यहां पर हड़ताल पर है, वहां पर अस्पताल के सारे कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर है। इन हत्याओं के बाद 12 दिसम्बर को लगभग दोपहर में एक परिवार के तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से जनआक्रोश बढ़ा और तभी से भिण्ड नगर पूरी तरह से बन्द है, पूरा भय और आतंक वहां व्याप्त है। जब वहां की जन संघर्ष समिति के लोगों ने वहां प्रदर्शन किया तो वहां पर पुलिस ने उनके ऊपर डण्डे बरसाये और 200 से अधिक लोगों को जेल में बन्द कर दिया, पुलिस का आतंक वहां पूरी तरह से फैला हुआ है। **(व्यवधान)**

1.19 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

वहां पर बिना किसी मतलब के लोगों को जेलों में बन्द किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार ने आतंक मचाया हुआ है। (व्यवधान) अदालत बन्द, अस्पताल बन्द बाजार बन्द पूरी तरह से वहां अव्यवस्था फैली हुई है। इन्दौर के अन्दर जो पत्रकार थे, उनको मारा-पीटा गया, उनके ऊपर पथराव